कार्यालयः—जिलाधिकारी, खगड़िया।

(जिला योजना कार्यालय)

निविदा आमंत्रण सूचना

प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना के पत्र सं0 5043, दिनांक 07.09.2016 के आलोक में जिला कृषि कार्यालय, खगड़िया के परिसर में नवनिर्मित जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, खगड़िया के भवन की आंतरिक एवं बाहय साफ–सफाई बाहय स्त्रोत (Outsourcing) से कराने के निमित इच्छुक संस्थाओं/फार्मो के माध्यम से सेवायें प्राप्त करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 23.12.2017 के अपराह्न 01:00 बजे तक जिला योजना कार्यालय, खगड़िया में प्राप्त किया जायेगा एवं प्राप्त निविदाओं को उसी दिन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में अपराह्न 03:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा।

निविदा की शर्तेः—

13. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में प्राप्त किया जायेगा।
14. तकनीकी निविदा के साथ निम्न कागजात संलग्न करना अनिवार्य हैः—

(i) अग्रधन के रूप में जिला योजना पदाधिकारी, खगड़िया के पदनाम से निर्गत 20,000/— (बीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट।

(ii) संस्था/फर्म के निबंधन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।

(iii) आयकर निबंधन एवं वाणिज्यकर/GST निबंधन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।

(iv) सरकारी संस्थानों में विज्ञापित सेवाएँ संबंधी कार्य करने का दो वर्षों का अनुभव प्रमाण–पत्र।

(v) संस्था का किसी फौजदारी अथवा दीवानी मामले में मुकदमा लंबित नहीं होने एवं किसी सरकारी/निजी संस्थान द्वारा काली सूची में नहीं रखने का शपथ पत्र।

15. तकनीकी निविदा शर्त अनुरूप मान्य होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
16. वित्तीय निविदा में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, खगड़िया के कुल क्षेत्रफल 4149 वर्गमीटर (आंतरिक–3227 वर्गमीटर एवं बाहरी परिसर–922 वर्गमीटर) के संपूर्ण सफाई तथा रख–रखाव की व्यस्था के लिए संस्था को प्रति वर्गमीटर की दर से प्रतिमाह के लिए दर अंकित करना होगा। केन्द्र के शौचालय, पानी टंकी, उपस्कर आदि की नियमित साफ–सफाई हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
17. केन्द्र की सफाई प्रतिदिन करने हेतु पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मी एवं सफाई सामग्रीयों की व्यवस्था संस्था द्वारा स्वयं की जायेगी। किसी कर्मी के अनुपस्थित रहने पर उनके स्थान पर अन्य सुरक्षित कर्मी की व्यवस्था तुरंत करनी होगी अन्यथा अनुपातिक कटौती की जाएगी।
18. सफाई कर्मी के ड्रेस एवं पहचान पत्र आदि तैयार किय जाने में व्यय राशि संस्था को स्वयं वहन करना होगा। सफाई अवधि में निर्धारित ड्रेस एवं पहचान पत्र सफाई कर्मी आवश्य धारित करेंगे।
19. केन्द्र के आंतरिक भाग एवं शौचालय की सफाई एक से अधिक बार कराई जा सकती है फलस्वरूप कार्यालय अवधि में कुछ सुरक्षित कर्मी का होना अनिवार्य रहेगा। इस हेतु अतिरिक्त राशि का भुगतान नही किया जायेगा।
20. संस्था को किसी प्रकार के परिवहन व्यय एवं अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा।
21. विपत्र में आवश्यक करों की कटौती करने के उपरांत भुगतेय राशि का भुगतान किया जायेगा।
22. निविदा की शर्तो के अनुरूप संस्था के साथ एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जायेगा। कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में ही अवधि विस्तार किया जायेगा। अनुबंध की अवधि में कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में अनुबंध रदद् करने, भुगतान में कटौती करने एवं निर्धारित दर पर अन्य संस्था से कार्य कराने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
23. कार्यादेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ नहीं करने की स्थिति में संस्था को काली सूची में डालते हुए कानूनी कार्रवाई के साथ–साथ अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी तथा कार्य आवंटन दूसरे बोली वाले संस्था को कर दिया जाएगा।
24. बिना कारण बताये निविदा को रदद् करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

जिलाधिकारी
खगड़िया।